क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	होम गार्डों की प्राधिकृत संख्या	होम गार्डों की स्थापित संख्या
23.	उड़ीसा	16362	11425
24.	पांडिचेरी (संघ शासित)	440	290
25.	पंजाब	34595	34151
26.	राजस्थान	28050	27145
27.	सिक्किम	546	546
28.	तमिलनाडु	11622	9746
29.	त्रिपुरा	4207	2773
30.	उत्तर प्रदेश	123420	119706
31.	पश्चिम बंगाल	46750	22704

पूर्वोत्तर में गैर-आदिवासी हिंदुओं और मुसलमानों की समस्याएं

833. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर मेघालय में गैर-आदिवासियों, हिन्दुओं और मुस्लिमों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारणा) अधिनियम, 1993 के प्रस्तावित निरसन के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने, 4.2.1999 को प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान, असम और मेघालय में अल्पसंख्यकों को सामने आ रही समस्याओं के बारे में उन्हें मौखिक रूप से बताया था। तथापि, इस संबंध में आयोग द्वारा केन्द्र या संबंधित राज्य सरकारों को कोई लिखित रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, द्वितीय सांविधिक आयोग (नवम्बर, 1996, नवम्बर, 1999) कार्यालय में दो वर्ष का काल" उपलब्धियां और असफलताएं, भावी योजनाएं और देश में वर्तमान अल्पसंख्यक स्थिति का मूल्यांकन नामक दस्तावेज की एक प्रति प्रधान मंत्री को भी भेजी है। इस रिपोर्ट में आयोग ने राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक अवधारणा और हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों के रूप में मानने जो जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड राज्यों और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों के रूप में मानने और अपने क्षेत्राधिकार को पाने की हकदारी का उल्लेख किया है।

(ग) आई०एस०(डी०टी०) अधिनियम, 1993 को निरस्त करने का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

Organisations Receiving Foreign Funds

834. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total amount of funds received from foreign countries during the last three years and till date by religious, social and volutary organisations functioning in the country, year-wise; and

(b) whether such organisations have so far intimated to Government about the receipt/utilisation of said funds by them in the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) According to the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976, associations having a definite cultural, economic, educational, religious or social programme can accept foreign contribution only after they are granted